राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांकः– 01.09.2026

माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु **प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा–2025** के अन्तर्गत **प्राध्यापक–Sanskrit** विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा प्रश्न पत्र–प्रथम एवं प्रश्न पत्र–द्वितीय की लिखित परीक्षा (Objective Type) क्रमशः दिनांक 03.06.2026 एवं दिनांक 05.06.2026 को आयोजित की गई।

उपरोक्तानुसार आयोजित उक्त दोनों प्रश्न–पत्रों की परीक्षा में उपस्थित निम्नलिखित रोल नम्बर वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापित पदों के विरुद्ध पात्रता की जाँच हेतु विचारित सूची (Provisional List of Candidates for Eligibility Checking) में अस्थाई रूप से सम्मिलित किया जाता हैः–

रोल नम्बर

2094388	2107234	2108335	2124995	2128544	2131827
2139628	2192074	2202973	2209555	2218193	2232461
2238507	2248140	2261085	2278208	2289508	2292725
				TOTAL CANDIDATES:- 18	

उक्त सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची/वरीयता सूची नहीं है, अंतिम रुप से सफल अभ्यर्थियों की सूची (परिणाम) संबंधित विभाग (निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा विभाग) द्वारा दस्तावेज सत्यापन कराये जाने के पश्चात् आयोग द्वारा जारी की जायेगी।

उपरोक्तानुसार विचारित सूची में अस्थाई रुप से सम्मिलित किये गये सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपनी SSO ID के माध्यम से recruitment portal पर My Recruitment → Detailed Form Cum Scrutiny → Apply Now का चयन कर अपना विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाईन भरें। ऑनलाईन विस्तृत आवेदन–पत्र भरने हेतु आयोग द्वारा दिनांक 08.09.2026 से दिनांक 14.09.2026 (रात्रि 11:59) तक लिंक खोला जायेगा। इस क्रम में यह भी सूचित किया जाता है कि विस्तृत आवेदन–पत्र एवं दस्तावेजों की जाँच संबंधित विभाग (निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा विभाग) द्वारा ही की जायेगी।

अतः ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने व सबमिट करने के उपरांत प्रिन्ट ऑप्शन पर जाकर सम्पूर्ण विस्तृत आवेदन पत्र को 02 प्रतियों में प्रिन्ट कर अपने पास संभाल कर रखें एवं संबंधित विभाग (निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा विभाग) की सूचना के अनुसार निर्धारित दिनांक, समय व स्थान पर विस्तृत आवेदन–पत्र (दो प्रतियों में) मय समस्त मूल दस्तावेजों व स्वयं सत्यापित प्रतियों सहित उपस्थित होवें। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा ही उचित माध्यम से

अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचित कराने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अलग से कोई सूचना अभ्यर्थियों को प्रेषित नहीं की जायेगी। निदेशालय द्वारा प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा–2025 के उक्त विषय–Sanskrit के दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अपात्र मानते हुए परिणाम में विचारित नहीं किया जायेगा।

अतः अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच विज्ञापन की शर्तों/नियमों के अनुसार की जावेगी। पात्रता की समस्त शर्तें नियमानुसार पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता रद्द कर दी जायेगी। संबंधित विभाग से दस्तावेज जाँच/सत्यापन उपरांत, पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभाग द्वारा आयोग को भेजी जायेगी, जिसके उपरांत आयोग द्वारा परिणाम जारी कर चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु संबंधित विभाग को अभिस्तावित किये जायेंगे।

CUT OFF MARKS

CATEGORY		CUT OFF MARKS	REMARKS
Gen. (UR)	GEN.	ALL	-
	GEN. WE		
	WD	ALL	WD N.A., DV Against WD
S.C.	GEN.	ALL	-
	GEN. WE		
	WD	N.A.	-
S.T.	GEN.	ALL	-
	GEN. WE		
	WD	N.A.	-
	DV	N.A.	-
O.B.C.	GEN.	N.A.	-
	GEN. WE	N.A.	-
	WD	N.A.	-
	DV	N.A.	-
M.B.C.	GEN.	N.A.	-
	WD	N.A.	-
E.W.S.	GEN.	N.A.	-
	GEN. WE	N.A.	-
	WD	N.A.	-
	DV	N.A.	-

HORIZONTAL RESERVATION

CATEGORY		CUT OFF MARKS
Ex-service man	Gen. (UR)	N.A.
	S.C.	N.A.
	O.B.C.	N.A.
PH	B/LV	N.A.
	H.I.	N.A.
	OA/BA/OL/BL/OAL/CP/LC/DW/AAV/SD/SI	N.A.
	(a) ASD (M), M.I., S.L.D., & (b) Mul. Dis.	N.A.

नोटः–

1. 'ALL' से तात्पर्य 'All Candidates Who Obtained Minimum Qualifying Marks As Per Service Rules' से है।
2. 'N.A.' से तात्पर्य 'Candidates Not Available Due to Minimum Qualifying Marks As Per Service Rules' से है।
3. आयोग द्वारा जारी किये गये विस्तृत विज्ञापन दिनांक 17.07.2025 में उल्लेखित ओ.एम.आर. उत्तरपत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के सम्बन्ध में विशेष निर्देशों के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में 05 विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं भरने के कारण 99 अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य घोषित किया जाता है। उक्त 99 अभ्यर्थियों के रोल नम्बर पृथक से आयोग की वेबसाईट पर जारी किये जा रहे है।

(आशुतोष गुप्ता)
सचिव